रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.)-127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 490] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 12, 1988/भाद्र 21, 1910
No. 490] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 12, 1988/BHADRA 21, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1988

शुद्धिपत्र

(वाणिज्य पोतपरिवहन)

सा.का.नि. 921(अ) :—भारत सरकार, जल भूतल परिवहन मंत्रालय (नौवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 473(ई), दिनांक 11 मई, 1987 भारत के राजपत्र के, असाधारण, भाग II खंड 3, उपखंड (1), दिनांक 11 मई, 1987 के पृष्ठ संख्या 1 से 12 पृष्ठों में प्रकाशित वाणिज्य पोत परिवहन (पोत टनभार मापन) नियम, 1987 में—

1. पृष्ठ संख्या 1 :

(क) नियम 2 में धारा (ध) की पहली पंक्ति में "डंक" के स्थान पर "डेक" पढ़ा जाए ।

(ख) धारा (ग) की पहली पंक्ति में "स्थोरा स्थान" से स्थोरा के बाद "जो पोत से विमुक्त हुआ है और" जोड़ दिया जाए तथा छठवीं पंक्ति में "100" के स्थान पर "1.00" पढ़ा जाए तथा उसी पंक्ति में "कम" के बाद "न" पढ़ा जाए ।

2. पृष्ठ संख्या 2 :

(क) धारा (छ) में "शिशु" के स्थान पर "शिक्षु" पढ़ा जाए । धारा (ज) की दूसरी पंक्ति में "पोतमीलों" को "पोतभीतों", चौथी पंक्ति में "डंक" के लिए "डेक", पांचवीं पंक्ति में "डंक" के लिए "डेक" पढ़ा जाए ।

(ख) धारा (क) (i) की पहली पंक्ति में "पार्शव के बीमा" के स्थान पर "पार्श्व के बींमों", दूसरी, तीसरी, चौथी और नवीं पंक्ति में "डंक" के "डेक" पढ़ा जाए ।

(ग) धारा (क) (ii) की दूसरी, चौथी पंक्ति में "डंक" के स्थान पर "डेक" पढ़ा जाए, चौथी

पंक्ति में "जहां पोत पर आर फर के स्थान" के लिए "जहा पोत के आड़े स्थान" पढ़ा जाए,

(घ) धारा (क) (iii) की पांचवीं पंक्ति में "डंक" के लिए "डेक" पढ़ा जाए ।

(ङ) धारा (ख) की पहली पंक्ति में "डंक" के लिए "डेक", धारा (ग) की छठवीं पंक्ति में "डंक" के लिए "डेक", धारा (घ) की पहली पंक्ति मे "डंक" के लिए "डेक", धारा (ङ) की तीसरी पंक्ति में "डंक" के लिए "डेक" पढ़ा जाए ।

(च) धारा (ठ) की दूसरी पंक्ति में "लुदन" के लिए "लंदन" पढ़ा जाए।

(छ) धारा (ण) (क) पांचवीं पंक्ति मे "पट्टिर्यां" के लिए "पट्टियां" पढ़ा जाए ।

(ज) धारा (ण) (ख) की पहली पंक्ति मे "मनल" के लिए "गनल" पढ़ा जाए।

3 पृष्ठ संख्या 3 :

(क) धारा (ण) (ग) की पहली, दूसरी, चौथी पंक्ति में "डंक" के लए "डेक" तथा दूसरी पंक्ति में "बिन्द" के लिए "बिन्दु" पढ़ा जाए ।

(ख) धारा "(घ)" के लिए "(प)", पहली, तीसरी, सातवीं, आठवीं, नवीं पंक्ति में "डंक" के लिए "डेक" तथा ग्यारहवीं पंक्ति में "ऊवरी" के लिए "ऊपरी" पढ़ा जाए ।

(ग) धारा (ब) की दूसरी पंक्ति मे "अर्ध" के लिए "अर्थ" पढ़ा जाए ।

(घ) नियम 3 की तीसरी पंक्ति में "जी टी = के बी" के लिए "जी टी = $के_1$ बी", पांचवीं पंक्ति में "$के_1$ = 0.2 + 0.02 लॉग $सी_{10}$" के लिए "$के_1$ = 0.2 + 0.02 $लॉग_{10}$ बी" पढ़ा जाए ।

(ङ) नियम 4(क) में "$(4डी)^2$ (3डी)" के लिए "$(4डी/3डी)^2$" पढ़ा जाए । नियम 4(ख) की पहली पंक्ति में "0.25 जी ओ" के लिए "0.25 जी टी" पढ़ा जाए ।

नियम 4(ग) तीसरी पंक्ति में "बीर्स" के लिए "बीसी" पढ़ा जाए, सातवीं पंक्ति में "पमिभाषित" के लिए "परिभाषित" पढ़ा जाए, दसवीं पंक्ति में "$के_3 = 1.25 \frac{जी टी + 10,000}{10,000}$" के लिए "$के_3 = 1.25 \left(\frac{जीटी + 10,000}{10,000}\right)$" पढ़ा जाए । ग्यारहवीं पंक्ति में "8 वर्षी" के लिए "8 वर्षों" पढ़ा जाए ।

(च) नियम 4(2) (3) की दूसरी पंक्ति में नियत के बाद में आने वाली "की" को निकाल दिया जाए ।

(छ) नियम 5(1) की दूसरी पंक्ति मे "फ्लोटिंग" के लिए "प्लोटिंग" पढ़ा जाए ।

4 पृष्ठ संख्या 4 :

(क) नियम 5 (4) की पहली पंक्ति में "मुख्य स्तग" के लिए "मुख्य स्तंभ" पढ़ा जाए ।

(ख) नियम 7 (2) की चौथी पंक्ति मे "लिस" के लिए "जिस" पढ़ा जाए ।

(ग) नियम 7 (3) (क) की पहली पंक्ति में "ध्वजीधीन" के लिए "ध्वजाधीन" पढ़ा जाए ।

5. पृष्ठ संख्या 5 :

(क) परिशिष्ट-1 की तीसरी पंक्ति मे "स्थन" के लिए "स्थान" पढ़ा जाए ।

छठवीं पंक्ति में "ड्रेक" के लिए "डेक" तथा उसी पंक्ति में "आकृति 2 मे" के लिए "आकृति 2 में" पढ़ा जाए ।

6 पृष्ठ संख्या 6 :

(क) परिशिष्ट-2 के दूसरे स्तंभ की 33वीं पंक्ति में "0.2009" के लिऐ "0.2909", चौथे स्तंभ की दसवीं पंक्ति में "0.2981" के लिए "0.2991", छठवीं स्तंभ की तीसरी पंक्ति में "0.3100" के लिए "0.3109", सातवें स्तंभ की पन्द्रहवीं पंक्ति में "888888 1" के लिए "810000", उसी स्तंभ के पच्चीसवीं पंक्ति में "910.000" के लिए "910000", आठवें स्तंभ की तीसरी पंक्ति में "0.3189" के लिए "0.3168", उसी स्तंभ की चौथी पंक्ति में "0.3170" के लिए 0.3169" तथा उसी स्तंभ की चौहदवीं पंक्ति में "0.3161 के लिए "0.3181" पढ़ा जाए ।

7. पृष्ठ संख्या 7 :

(क) परिशिष्ट-3 के 1 (ग) के नीचे दी सारणी के स्तंभ एक की दूसरी पंक्ति में "1ल60" के लिए "760-120" पढ़ा जाए और उसके आगे "120" निकाल दिया जाए ।

(ख) नियम 1(क्ष) में "व्रिज" के लिए "ब्रिज" नियम 2 की पहली पंक्ति में "नोसिंग" के लिए "बोसिंग" पढ़ा जाए ।

8. पृष्ठ संख्या 8 :

(क) (नियम 8 देखिए) के ऊपर "परिशिष्ट 4" पढ़ा जाए । उसके नीचे "भारत सरकार के

प्राधिकारीधीन" के लिए "भारत सरकार के प्राधिकाराधीन", पढ़ा जाए तथा "समुद्री वाणिज्य" के बाद "विभाग" जोड़ दिया जाए ।

9. पृष्ठ संख्या 10 :

(क) परिशिष्ट-5 की सारणी के प्रथम स्तंभ की दूसरी पंक्ति में "पूक" के लिए "रूप", पांचवीं पंक्ति में "वयायकार" के लिए "वलयाकार" तथा अन्त में "कुल मायतन आ." के लिए "कुल आयतन आ." पढ़ा जाए ।

10. पृष्ठ संख्या 11 :

(क) परिशिष्ट के आगे"-6" पढ़ा जाए ।

(ख) परिशिष्टि 7 के नियम (1) की तीसरी पंक्ति में "युवा" के लिए "गुणा" पढ़ा जाए ।

11. पृष्ठ संख्या 12 :

(क) परिशिष्ट-8 के (क) (1) की पांचवीं पंक्ति में "20,009" के लिए "20,000", सातवीं पंक्ति में "20,900" के लिए "20,000", पढ़ा जाए । तथा उसी के आगे "20/- रु." के लिए "25/- रु." पढ़ा जाए ।

(ख) नियम (ख) की पहली पंक्ति से "300/- रु." निकाल दिया जाए । बंकर स्थान के आगे "5" निकाल दिया जाए ।

[फाइल संख्या एम. डब्ल्यू/5-एम.एस. आर(ii)/82-एम.ए.]

राम स्नेही, अवर सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

New Delhi, the 12th September, 1988

CORRIGENDA

(Merchant Shipping)

G.S.R. 921(E).—In the Merchant Shipping (Tonnage Measurement of Ships) Rules, 1987 published with the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Shipping Wing) No. G.S.R. 473(E), dated the 11th May, 1987, at pages 13 to 28 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 11th May, 1987,——

(1) *at page* 13—

(1) in rule 2,—

(a) in clause (c), line 2, for "be" read "the" and line 3, *omit* "for";

(b) in clause (e), line 2, *after* "cargo" *add* "which is to be discharged from the ship and" and line 7, *after* "not" *insert* "less";

(c) in clause (i), sub-clause (a) (i), line 9, for "excluded" *read* "exclude" and line 11, *for* "aline" read "a line";

(2) *at page* 14—

in rule 2, clause (p), line 1, for "not" read "net"

(3) at page 15—

(a) in rule 2, clause (u), line 12, *omit* "line"

(b) in rule 4, sub-rule (1),—

(i) line 3, *for* "(4 D /3D)^2" *read* "(4d/3D)^2";

(ii) clause (a), line 1, *for* "(4D/3D)^2" *read* "(4d/3D)^2";

(iii) clause (b), line 1, *for* "(4D /3D)^2" *read* "(4d/3D)^2";

(iv) *for* clause (c), read—

"(c) NT shall not be taken as less than 0.30GT and in which :

V_c = total volume of cargo spaces in cubic metres.

$K_2 = 0.2 + 0.02 \log_{10} V_c$ (or as tabulated in Appendix II).

D = Moulded depth amidships in metres as defined in rule 2(15).

d = moulded draught amidships in metres as defined in sub-rule(2) of this rule.

$K_3 = 1.25 \quad \frac{[GT + 10,000]}{10,000}$

N_1 = Number of passengers in cabins with not more than 8 berths.

N_2 = Number of other passengers,

$N_1 + N_2$ = total number of passengers the ship is permitted to carry as indicated in the ships' passenger certificate, when $N_1 + N_2$ is less than 13 N_1 and N_2 shall be taken as zero,

GT = Gross tonnage of the ship as determined in accordance with the provisions of rule 3";

(4) *at page* 16—

in rule 5, sub-rule (4), line 1, *for* "In accessible" *read* "inaccessible";

(5) *at page* 18—

in APPENDIX-I, line 1, for "2(9)" *read* "2(i)";

(6) *at page* 20—

(a) in APPENDIX-II,

(i) line 3, for "or Vc", need "V or Vc",

(ii) line 14, in second column of the table, *for* "0.2580" *read* "0.2540";

(iii) line 17, in fourth column of the table *for* "0.3005" *read* "0.3035";

(iv) line 30, in fourth column of the table, *for* "0.3088" *read* "0.3089";

(7) *at page* 21—

in APPENDIX III, item 1(c), line 5, *for* ">60 = 120" read "60—120";—

(8) *at page* 24—

In APPENDIS IV,

(9) *at page* 25—

under the heading "SPACE" INCLUDED TONNAGE"

(a) *for* "ENCLOSED SPACES" *read* "EXCLUDED SPACES";

(b) for "(Rule 2(h)" read "[(Rule 2(i)]

[F.No. S W./5-MRS(ii)/82MA]

RAM SANEHI, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1988